न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान रामप्रसाद बनाम ओमप्रकाश

मा संख्या/वर्ष टी0आई0 53/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30/4/25	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कुमार शर्मा हाजिर। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम श्योसिंहपुरा पटवार हल्का श्योसिंहपुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र कालवाड, तहसील कालवाड जिला जयपुर के खसरा नम्बर 169 रकबा 0.0379 है0, खसरा नम्बर 170 रकबा 1.9981 है0, खसरा नम्बर 171 रकबा 5.0965 है0, खसरा नम्बर 187 रकबा 0.0759 है0, खसरा नम्बर 188 रकबा 1.0749 है0, खसरा नम्बर 189 रकबा 0.2656 है0 भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त, कब्जे काश्त, सहखातेदारी की कृषि भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण मनबट के अनुसार मौके पर अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना विधिक विभाजन करवाये ही वादग्रस्त भूमि पर विक्रय, हस्तानान्तरण प्लोटिंग करने एवं खुर्द–बुर्द करने पर उतारू है। प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि के विशिष्ठ भू–भाग से जबरिया बेदखल करने, बेचान, हस्तानान्तरण कर प्लोटिंग करने की ऐलानिया धमकी देते है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर किसी विशिष्ट भू–भाग का बेचान, अन्तरण, हस्तानान्तरण, किसी प्रकार का निर्माण, प्लोटिंग इत्यादि नहीं करने तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट नहीं करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु निवेदन किया गया है। अप्रार्थीगण की विधिवत् तामील पूर्ण करवाई गई। बावजूद सम्यक तामील एवं समुचित अवसर उपरांत भी प्रतिवादीगण की ओर से पैरवी हेतु कोई उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 61 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस एवं पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन कर न्यायालय यह [illegible] कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत [illegible] है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र, दावा बाबत विभाजन [illegible] पेश किया है। वादग्रस्त [illegible] में प्रार्थी, अप्रार्थीगण सहखातेदार है। विवादित भूमि का विधिव[illegible] विभाजन नहीं हुआ है। अविभाजित भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी का इंच टू इंच में हिस्सा निहित होता है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2025.05.14 15:00:39 IST
Reason: Self-Attested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

	30/4/25	अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय–वस्तु को संरक्षित रखने हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि अवस्थित ग्राम श्योसिंहपुरा पटवार हल्का श्योसिंहपुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र कालवाड, तहसील कालवाड जिला जयपुर के खसरा नम्बर 169 रकबा 0.0379 है0, खसरा नम्बर 170 रकबा 1.9981 है0, खसरा नम्बर 171 रकबा 5.0965 है0, खसरा नम्बर 187 रकबा 0.0759 है0, खसरा नम्बर 188 रकबा 1.0749 है0, खसरा नम्बर 189 रकबा 0.2656 है0 पर उभयपक्षों को ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। यह व्यादेश कृषि कार्य व सरकारी योजनाओं पर लागू नहीं होगा। निर्णय आज दिनांक 30/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम Signature Not Verified Digitally signed by Sarita Sharma Date: 2025.05.14 15:00:39 IST Reason: SelfAttested